न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–26 / 2012–13

बालेश्वर सिंह वगैरह बनाम रामेश्वर सिंह वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
27/6/18	**आदेश** आवेदकगण के द्वारा यह वाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0 08 / 2009–10 में दिनांक 26.07.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। आवेदकगण दिनांक 31.03.2018 एवं 23.05.18 को उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 23.05.2018 को आवेदकगण को अंतिम मौका दिया गया। आवेदकगण आज भी अनुपस्थित है। आवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0 08 / 2009–10 में दिनांक 26.07.2012 को पारित आदेश का अवलोकन किया। आवेदकगण के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा–04 के अन्तर्गत भूमि विवाद के निराकरण हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के न्यायालय में वाद सं0 08 / 2009–10 लाया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई कर दिनांक 26.07.2012 के आदेश से आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदकगण भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के उस आदेश से यदि विक्षुब्ध थे, तो वे बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा–14 के अन्तर्गत आयुक्त, पटना के न्यायालय में अपील कर सकते थे। आवेदकगण के इस अपील आवेदन पर इस न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती। अतः आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 27/6/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 27/6/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	